

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1345]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 2, 2016/ज्येष्ठ 12, 1938
No. 1345]	NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 2, 2016/ JYAISTHA 12, 19

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2016

का.आ. 1940(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकांउटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 10ख की उपधारा (1) और चार्टर्ड अकांउटेंट्स (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसरण में भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 1634(अ), तारीख 4 मई, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (i) में, "संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार" शब्दों के स्थान पर "अतिरिक्त सचिव" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 1/15/2016-पीआई]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग Π , खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 1634(अ), तारीख 4 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2016

S.O. 1940(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 10B of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) and in pursuance of rule 3 of the Chartered Accountants (Election Tribunal) Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of

the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs published vide number S.O. 1634(E), dated the 4th May, 2016, namely:—

2. In the said notification, in Serial (i) for the words "Joint Secretary and Legal Adviser" the words "Additional Secretary", shall be substituted.

[F. No.1/15/2016-PI]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note:-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* number S.O. 1634(E), dated the 4th May, 2016.